चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आवासीय भवन का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइंस श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली , प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा 01 अन्तर्राज्जीय गांजा तस्कर को 21 किलो 20 ग्राम अवैध गांजा व 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 26/27.09.2024 की रात्रि समय लगभग 01.05 बजे थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर द्वारा मड़फा फतेहगंज तिराहा से हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 90 एबी 2683 पर सवार अभियुक्त अभियुक्त सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामआसरे उम्र करीब 44 वर्ष निवासी फतेहगंज थाना फतेहगंज जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 21 किलो 20 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त से कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो बताया कि मैं यह गांजा उड़ीसा राज्य से लाया हूं तथा जनपद चित्रकूट, जनपद बांदा, जनपद कौशाम्बी, जनपद फतेहपुर एवं म0प्र0 के सतना व पन्ना जिले में सप्लाई करता हूं। बरामदशुदा गांजे की कीमत लगभग 05 लाख 30 हजार रुपये करीब है। बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा बरामदशुदा गांजा के सम्बन्ध में थाना भरतकूप में अभियुक्त सुरेश कुमार गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 144/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामआसरे उम्र करीब 44 वर्ष नि0 फतेहगंज थाना फतेहगंज जनपद बांदा

बरामदगीः-

(i).21 किलो 20 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 05 लाख 30 हजार रुये)

(ii).हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 90 एबी 2683

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह

2.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय

3.उ0नि0 श्री यू0टी0 उत्कर्ष कुमार सिंह

4.आरक्षी सतीश यादव

5.आरक्षी रणवीर सिंह

6.आरक्षी संदीप कुमार

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री ब्रेजमोहन सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्या ायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 234/2015 धारा 323,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्ता 1.श्रीमती इन्दा देवी पत्नी संत कुमार 2.जानकी देवी पुत्र संत कुमार निवासीगण दुगवां थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). आज दिनाँक 27.09.2024 को क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा थाना रैपुरा के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। क्षेत्राधिकारी द्वारा अर्दली रुम के दौरान विवेचकों को गुण दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। मुकदमों से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तार की जाये। जनसुनवाई एवं आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल व अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।